an>

Title: The Speaker made a reference regarding Homage to martyrs of freedom movement and reference regarding loss of lives in terrorist attack in London.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव हमारे देश को विदेशी शासन के बंधन से मुक्त कराने के लिए 23 मार्च, 1931 को शहीद हुए थे। इन शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हमारे युवाओं एवं समस्त देश के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। इस अवसर पर हम शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरू और शहीद सुखदेव और उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए।

Hon. Members, as per reports, four persons have been killed and several others injured in a dastardly terrorist attack in London close to the British Parliament on March 22, 2017.

Condemning these heinous terrorist attacks, the House stands in solidarity with the Parliament, Government and the people of United Kingdom in this hour of crisis and supports the efforts of United Kingdom to bring to book the perpetrators of such terrorist violence.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of our freedom fighters and the departed.

-

11.03 hours

(The Members then stood in silence for a short while.)

11.04 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q.No.301, Shri Sunil Kumar Singh.

(Q. 301)

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत 2 अक्टूबर, 2014 को की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 5 साल में, 2019 तक भारत को खुले में शौच करने से मुक्त करना था। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अच्छा काम किया है। अब तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य हुआ है। देश के लगभग 118 जिलों के एक लाख 74 हजार 242 गांवों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त कर लिया है। अगर हम इसका एचीवमैंट रेट देखें, तो जहां 2014-15 में 117 प्रतिशत लक्ष्य के हिसाब से था, वहीं 2016-17 में 123 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री तोमर जी और राज्य मंत्री सहित विभाग को धन्यवाद दूंगा। परन्तु एनवायरमैंटल निष्पादन सूचकांक में भारत अभी भी 163 देशों की सूची में 123वें स्थान पर है जो निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है। अभी भी छ: राज्यों जैसे बिहार, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में 50 प्रतिशत से अधिक परिवार खुले में शौच जा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा जिले में अब तक 18 पंचायतों के 101 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही मेरे द्वारा कानाचट्टी जो आदर्श ग्राम लिया गया है, वह पूरी तरह खुले में शौच जाने से मुक्त हो चुका है। लातेहार जिले में भी 115 पंचायतों में से 22 पंचायत इससे मुक्त हो चुके हैं जबकि मेरा क्षेत्र उग्रवाद से प्रभावित है और काफी गरीब क्षेत्र है। फिर भी गारू, महुआ डाड़ और चंदवा जैसे क्षेत्र इसी वित्तीय वर्ष में जून को इससे मुक्त हो जाएंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा सहित झारखंड राज्य के कितने गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं? ओडीएफ गांवों में, जैसे मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्रीय योजनाओं में प्राथमिकता देंगे, आप किस प्रकार की प्राथमिकता देंगे? साथ ही अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक खुले में शौच जाने वाले जो छ: राज्य हैं, जिनमें झारखंड भी है, वहां 2014 के बाद कितने परिवार इससे मुक्त हुए हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको सैकंड सप्लीमैंट्री मिलेगी।

â€¦(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार सिंह : क्या उन राज्यों के लिए कोई विशेष सहायता देंगे, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री रमेश जिगाजिनागि : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के क्षेत्र चतरा में कुल 141 विलेज ओडीएफ हो गए हैं। पूरे चतरा क्षेत्र में 18 लाख 444 हाउसहोल्ड्स ओडीएफ हो गए हैं। चतरा क्षेत्र में 41 प्रतिशत ओडीएफ हो गया है।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के बारे में बताना चाहता हूं कि बिहार में वर्ष 2013 में 21.41 प्रतिशत था जो आज तक 27.71 प्रतिशत हो गया है। ओडिशा में 11.51 प्रतिशत था, अभी 40 प्रतिशत हो गया है। तेलंगाना में 25.83 प्रतिशत था, अभी 47.53 प्रतिशत हो गया है। आंध्र प्रदेश में 33.84 प्रतिशत था, अभी 51.75 प्रतिशत हो गया है। यूपी में 37 प्रतिशत था, अभी 47.34 प्रतिशत हो गया है। जम्मू-कश्मीर में 24.55 प्रतिशत था, अभी 36.66 प्रतिशत हो गया है। जिन क्षेत्रों ने अच्छा काम किया, सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं। वे स्कीम्स को यूज कर सकते हैं।

श्री सुनील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, झारखंड राज्य का जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, खासकर चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में गांवों में परिवार काफी दूर-दूर तक बसते हैं। साथ ही यहां के जो छोटे-छोटे शहरी क्षेत्र हैं, नगरपालिका भी एक लाख से नीचे की है, उन्हें भी सीधे ओडीएफ के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं मिलती। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है कि पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के साथ-साथ शहरी मंत्रालय का भी समन्वय हो।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जो 12 हजार रुपये प्रोत्साहन का देते हैं, उसके लिए बहुत सारी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। खासकर गरीब क्षेत्र और जहां शिक्षा की कमी है, वहां लोगों को कठिनाई होती है। क्या उन राज्यों के लिए कोई विशेष सहायता

12,000 रुपए कि प्रोत्साहन राशि तय की गई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी शर्तों के सरलीकरण करने का कोई विचार है? साथ ही साथ छोटे शहरी क्षेत्रों में बसावटों की शहरी विकास मंत्रालय से कोआर्डिनेशन स्थापित करने की कोई योजना है तो बताएं?

SHRI RAMESH JIGAJINAGI: There is a coordination between the State Governments and the Central Government. दो या तीन महीने में बैठकर उस क्षेत्र की जो भी प्राब्लम हो, सॉल्व करते हैं।

माननीय सदस्य ने जो 12,000 रुपए की राशि देते हैं, उसके सरलीकरण के बारे में प्रश्न पूछा है। मेरा कहना है कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मानिटरिंग प्राब्लम होती है। यह केंद्र सरकार के पास नहीं है, राज्य सरकार इसे देखती है कि वे यूज करते हैं या नहीं करते हैं, बीच में कोई रुकावट न आए, इसके लिए मानिटरिंग करते हैं इसलिए यह नहीं हो सकता है।

PROF. K.V. THOMAS : Madam Speaker, the Swachh Bharat Mission – Gramin is a commendable project which is the continuation of the Nirmal Bharat Yojana of the UPA Government.

Kerala is one of the States where we are going to declare by December that Kerala will become 100 per cent Open Defecation Free State. One of the problems which we are facing is that from place to place the cost of construction of toilets differs. Now, the Government of India gives a fixed amount. That has to be changed because it differs from place to place.

Secondly, water should be available. So, a water supply scheme has to be implemented. So, all these schemes have to be implemented through the State Governments. Kerala has been provided with only Rs. 8.50 crore this year. Before that, in 2014-15 it was Rs. 33.97 crore. So, adequate financial assistance has to be given to that States like Kerala where we are going to implement it 100 per cent.

श्री रमेश जिगाजिनागि: केरल तो ओडीएफ डिक्लेयर हो गया है। देश में तीन राज्यों में केरल भी एक राज्य है जो पूरा ओडीएफ हो गया है। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि 12,000 रुपए की राशि कम पड़ती है, यह राशि ज्यादा नहीं की जा सकती है।

SHRI BIJOY CHANDRA BARMAN : Respected Madam, thank you for allowing me to speak.

It is the need of the time that the Central Government should come forward to supplement the utmost effort put by our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee to mitigate the problems of tea garden workers and for the development of North Bengal, especially the hilly areas.

Vast areas of hilly region of North Bengal have been reeling under acute drinking water scarcity since long as a result of inaction by the earlier Left Front Government and a section of tea garden owners. These areas have large population of tribal people and most of them are poor and work relentlessly to provide the morning tea to the nation.

HON. SPEAKER: Please put a short question.

SHRI BIJOY CHANDRA BARMAN : But drinking water shortage and arsenic contamination in ground water have made their already strenuous lives tougher. ...(*Interruptions*)

I would like to know whether the Government is aware of the fact that vast hilly areas of the tea-producing belt of North Bengal, including my constituency Jalpaiguri, are facing shortage of drinking water and if so, the steps that have been taken under the Central schemes, if any. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only one supplementary question is allowed.

श्री रमेश जिगाजिनागि: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत लंबा प्रश्न पूछा है। उनके क्षेत्र में पानी की प्राब्लम है, हम इसको निपटा देंगे।...(व्यवधान) हमें हिंदी कम समझ में आती है, इसके लिए थोड़ी क्षमा करना।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Madam, firstly, I would like to congratulate the Ministry on the Gramin Swachh Bharat Drive and its achievements so far. Under the Gramin Swachh Bharat Programme, individual household toilets are there of a particular design, which is little flexible. We also have the village solid and liquid waste management, under which there is a garbage dumb and a large septic tank to handle liquid and sewage. But in the same village, under the individual household toilets, it is mandated that they should have two leach pits. So, there is a redundancy here. Leach pits cannot be connected to the solid and liquid waste management. The Government is giving up to Rs.20 lakh. Hence, there is a gap in the policy. Is the Government considering giving exemption wherever there is village solid and waste management, the individual households need not have two leach pits as it affects drinking water requirement? Will the Government give exemption to the individual household latrines which do not have two leach pits?

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से बहुत ही मुख्य बात पूछी है। स्वच्छता के क्षेत्र में गांव को ओडीएफ करना एक विषय है, लेकिन पूरी तरह स्वच्छ करना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए ठोस एवं तरल पदार्थ, जो वेस्ट है, उसका प्रबंधन हो, यह समय की आवश्यकता भी है और सरकार भी इसके प्रति सजग है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों कई सरकारों ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं तो उसे बहुत आधुनिक मॉडलों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाएबिलिटी नहीं आती है और रैचेन्यु मॉडल एक सक्सेस नहीं बनता है। इसके कारण देशज पद्धतियों को अपनाना आवश्यक होता है। हमने मंत्रालय में प्रोफेसर माशेलकर जी की अध्यक्षता में समिति बनाई है, वह इस प्रकार की तकनीक का परीक्षण करती है, जब वह एप्रूव करते हैं तो हम राज्यों को कहते हैं कि इसे अपनाओ। इस मामले में तमिलनाडु ने अच्छा काम किया है और अन्य राज्यों में 2431 ग्राम पंचायतों में यह काम चल रहा है। ओडीएफ और हम लोगों का थ्रस्ट है। अभी तक 1 करोड़ 76 लाख गांव ओडीएफ हो चुके हैं। हम इस टार्गेट को अचीव करना चाहते हैं, इसके साथ सालिड और लिक्विड मैनेजेमेंट भी है। हम जल्दी ही इसे गति देंगे। भारत पूरी तरह स्वच्छ हो, यह भारत सरकार की भी प्राथमिकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता है। पेयजल की जो स्थिति है या शौचालय की जो स्थिति है, अगर शौचालय बनेगा तो निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता रहेगी, इस आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से भी पेयजल मंत्रालय पूरी तरह से विचार कर रहा है। कल भी एक बड़ा कांफ्रेंस हुआ, जिसमें देश भर के आफिसर और 12 राज्यों के मंत्री

उपस्थित हुए थे।

मैं कहना चाहता हूं कि शौचालय बनने की गति बनी रहनी चाहिए। जो गांव ओडीएफ होता है, वहां हमारी कोशिश होती है और हम राज्यों से आग्रह करते हैं कि केंद्र परिवर्तित योजनाएं, चाहे पेयजल योजना हो या आवास योजना हो, ओडीएफ गांव को उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम सरकार का अभिनंदन करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जिस गंभीरता से लिया है, वह बेहद सराहनीय है। मैं कहना चाहती हूं कि शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है, उसमें शौचालय नहीं बन पाते, ऐसा हमें हर जगह सुनने को मिलता है। जहां हम हर क्षेत्र में नयी-नयी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां हम प्रीफैब्रिकैटिड टायलेट्स, जो कम कीमत और कम समय में बन जाते हैं, उन्हें क्या सरकार स्पोंसर करने, बढ़ावा देने के बारे में कोई सोच रखती है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार शौचालय के लिए 12 हजार रुपये प्रत्येक लाभार्थी को देती है। यह सच है कि अनेक स्थान ऐसे हैं, जहां 12 हजार रुपये कम पड़ते हैं। मैं सदस्य महोदया को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यह 12 हजार रुपये शौचालय के निर्माण की कीमत नहीं है। यह एक तरह से भारत सरकार की प्रोत्साहन राशि है। यह व्यक्ति मूलक योजना है, इसलिए लोग शौचालय उपयोग करने, स्वच्छता और शौचालय बनाने की दृष्टि से प्रवृत्त हों, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए इसलिए इस प्रोत्साहन के रूप में यह 12 हजार रुपये दिये जाते हैं। लेकिन राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने यहां किसी भी प्रकार के ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसमें अतिरिक्त राशि देने की जरूरत है, तो राज्य उसे दे सकते हैं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : अध्यक्ष महोदया, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को निधि का आबंटन होता है। मैं कहना चाहता हूं कि देश भर में 62 कन्टोनमेंट बोर्ड्स हैं। इन बोर्ड्स को राज्यों से कोई निधि नहीं मिलती और न ही उन्हें केन्द्र की किसी योजना में शामिल किया जाता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में देहू रोड कन्टोनमेंट बोर्ड है और पुणे में पुणे और खड़की कन्टोनमैंट बोर्ड है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर के कन्टोनमेंट बोर्ड्स को शामिल करने के लिए विचार कर रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, छावनी क्षेत्र निश्चित रूप से एक अलग संस्था है, स्वायत संस्था है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। उनके पास जो फंड्स रहते हैं, वे उसका उपयोग स्वच्छता के लिए कर सकते हैं। सदस्य की जो भावना है, उससे मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को अवगत करा दूंगा।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Madam, as our hon. Minister of Rural Development, Shri Tomar-ji, is aware that Telanga State has taken up a flagship programme with Rs. 46,000 crore on Mission Bhagiratha to give water to each and every household.

But, Madam, that scheme is already coming to an end. Perhaps it would take still about one to one and a half years to complete. However, as you know that the summer is coming up. तेलंगाना में सिर के ऊपर धूप मंडरा रही है। वहां मार्च के महीने में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। The water table level has come down. हर गांव में पानी की दिक्कत है। There is a lot of problem about drinking water. So, we have already requested the hon. Minister to give extra funds to our State for drinking water. I would like to ask the hon. Minister whether he is going to consider our request. Thank you.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदया, यद्यपि यह स्वच्छता से संबंधित प्रश्न है, लेकिन जितेन्द्र जी ने पानी के बारे में कहा है। स्वच्छ पेयजल सबको मिले, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में भारत सरकार लगातार राज्यों के साथ सम्पर्क और विचार-विमर्श कर रही है। हमने कल - हर घर जल और स्वच्छता के संबंध में एक कांफ्रेंस की थी, जिसमें तेलंगाना राज्य के माननीय मंत्री जी के साथ-साथ देश भर के अधिकारी, एनजीओज, ग्राम पंचायत समितियों के अधिकारी, जो पानी की दृष्टि से काम करते हैं, वे भी आये थे और बारह राज्यों के मंत्री भी आये थे। हम लोग सोच रहे हैं कि इस पर काम किया जाए। राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि पेयजल का मामला काफी व्यापक है। इसके लिए और सतत विकास के हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी धनराशि चाहिए। वर्ष 2030 तक हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करें, यह सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। यह सच है कि गर्मी की ऋतु में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां तापमान बढ़ जाता है और वहां पानी की समस्या बढ़ जाती है। माननीय सदस्य के राज्य को एवं बाकी सभी राज्यों को, आबादी के हिसाब से उनका जो हक बनता है, उसे हम लोग समय-समय पर देते हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर हम देते रहेंगे।

एक विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यहां थॉमस साहब ने कहा था कि केरल को कुछ अतिरिक्त मदद मिलनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि स्वच्छता को यह सरकार बहुत प्राथमिकता पर ले रही है। जिन राज्यों ने अपने आपको ओडीएफ घोषित किया है, उन राज्यों को कल हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त राशि दी है। इस दृष्टि से, स्वच्छता के केरल को 20 करोड़ रुपये और सिक्किम को पांच करोड़ रूपये दिए गए हैं। यह बात मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

(Q.302)

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : Thank you Madam Speaker. In the recent auctions of the wind power, the wind power tariffs came down to Rs. 3.46 per unit which is the lowest so far. Four new projects of 250 megawatt each have been awarded through this auction. The completion period of these new projects is 18 months. One of the major incentives for the renewable power generators were high tariff as compared to the conventional power because of high input cost. Now, experts are already raising doubts over the viability of these projects because of such a low tariff. Their input cost is not going to change much. We have seen that aspect with the solar energy too. During the last auctions in the last month, the average tariff is coming down to Rs. 3.30 per unit.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is planning to offer any new tax sops to upcoming and the future windmill projects so that the input cost of new projects can be brought down, and these projects are completed within the stipulated time.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, I would have thought that the whole House and the entire country would be happy that this Government has brought in transparency in its procurement and has given everybody an equal and fair opportunity to bid for projects, and to determine and discover the best price possible by using our transparent mechanism.

In the past, there was a system of feed-in tariff. It had its own utility and it was useful in that period of time to promote wind energy. But after all, the nation's priority is that we keep power cost low. The people of India cannot afford to pay high price for power. It often came to my attention that feed-in tariff once determined almost set a benchmark for the cost of power. Due to improved technologies, there is reduction in cost of power worldwide but the benefit was not coming to India because we were cocoon with feed-in tariff. We were getting generation-based incentive worth Rs. 1 crore per megawatt; we were allowing accelerated depreciation and a serious of promotional measures which were necessary at that point of time and they were continuing. The States and their DISCOMs were in stress and any additional renewable power obligation on them at those high prices was certainly unviable. By and large, the whole world believes that an equal opportunity provided to everybody to bid will determine the most efficient tariff. The same concerns were raised during solar bidding where we brought down the prices from Rs. 7 to Rs. 8 per unit of power to nearly, as he rightly pointed out, to a levelised tariff of Rs. 3.30 per unit and the first year tariff was at Rs. 2.97 per unit. At that price, renewable power is affordable for DISCOMs. It will encourage rapid expansion of renewable energy.

The hon. Prime Minister, Shri Modi, from day one, has been clear that as we expand the scope of renewable energy, not only we are serving the cause of mankind with less pollution but also we are preparing for the energy security of this country. We will get power at these low rates even after 25 years. That is what the people of India expect from the Government, and that is what we are doing. All the naysayers, who used to criticize solar tariffs falling from Rs. 7 or Rs. 8 to Rs. 3.30, have been proven wrong. All the projects which have come up through this auction process, if at all there is any delay in signing PPA, they come and fight with the Department saying: "We want to supply. Please execute the documents quickly". I am sure this is a more efficient way of discovering prices. We saw that benefit in LEDs where prices fell from Rs. 310 to Rs. 38 and the nation has benefited. Consumer bills, if you take public private together, have fallen by nearly Rs. 20,000 crore by the use of efficient LEDs. Similarly, I believe a transparent auction process is most welcome as in the spirit of the Government led by the Prime Minister, Shri Modi where we give transparency and a corruption free regime great importance in all the work that we do.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : We are really happy that these tariff rates will come down. My only concern was about the viability of the issue that more companies should come in and this project of renewable energy should go on.

My second question is this. We all know that Maharashtra is a pioneer in wind power and it has approximately 720 kilometres of coastline. A consortium led by Global Wind Energy Council which has a couple of Government agencies also, has initiated a research to find out potential sites off the coast of Gujarat and Tamil Nadu with the grant of four million Euros by the European Union. It has already identified Hazira and Pipavav in Gujarat and Tuticorin in Tamil Nadu as potential zones for wind power development.

My question to the hon. Minister is whether it plans to undertake any such study in the State of Maharashtra to make the best use of these 720 kilometres of coastline.

SHRI PIYUSH GOYAL: The hon. Member has raised a very good point.

First of all, as regards the viability of these projects, let us all understand that all these bidders are coming into the auction with their eyes open. We are not forcing anybody to give one price or the other. We are not determining whether they will give low or high or medium prices. Very often, you read it in the newspapers a lot of Members saying we should encourage private sector; we should encourage open competition. I am sure all these so called bidders are very intelligent companies. They know their interest best and all the flab and corruption that possibly existed earlier, the high windfall gains that they were getting earlier, is being captured now through lower prices and the benefit is going to the people. So, I have no doubt that this will be a viable price. If it is not viable in the next bidding, we will get another price. So, it is complete transparency that we are focusing on.

As regards the coastline power projects, off-shore wind projects, our Government has taken out a policy to encourage and promote off-shore wind projects about six months ago. As the technologies are not yet matured, I have talked to companies around the world. Britain has done a lot of work in off-shore wind technology. The processes are getting matured. India plans to get into that business as a pioneer to start developing these technologies. It will still take some time before this technology becomes viable. So, as a pilot, we are looking at Hazira, Pipavav, Tuticorin to begin this development. As this technology matures, as we get more and more efficiency and there is price reduction in this, I am sure that industry will also grow. The off-shore policy by the way was taken out in October, 2015. We are doing this assessment only in these regions, to begin with. Once the installation cost becomes more viable, I am sure Maharashtra will also join in the process.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : माननीय अध्यक्ष जी, पवन ऊर्जा का निर्माण इस देश में कई राज्यों में होता है, ऐसा आपने अपने उत्तर में लिखा है, लेकिन मेरी जानकारी में केवल इस देश में तमिलनाडु एकमात्र राज्य है, जहां भारी मात्रा में इस पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। पवन ऊर्जा पूरी तरह से हवा पर निर्भर होती है और जो विंड्स की स्पीड रहती है, वह अन्य राज्यों में उतनी नहीं मिल रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवन ऊर्जा का निर्माण करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि साथ साथ में पवन ऊर्जा का निर्माण करना हो तो सोलर एनर्जी से भी ज्यादा यह महंगी है कि कम से कम 7 करोड़ रुपये प्रति मेगावॉट इस पवन ऊर्जा के निर्माण में लगाना पड़ता है, इसलिए यदि वहां सोलर एनर्जी का निर्माण करना हो तो 5 या 6 करोड़ में निर्माण हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और जैसे कि डॉ. श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हमारे देश में तीनों तरफ सागर है और कई प्रदेशों में समुद्र की लहरों के ऊपर निर्माण करने वाली जो ऊर्जा है, उसके ऊपर सारे देश ध्यान दे रहे हैं। इस देश में भी सागर की लहरों से ऊपर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सरकार प्रयत्न करे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 175 गीगॉवाट का सोलर एनर्जी का निर्माण करने का उद्देश्य रखा था, आज तक उस उद्देश्य की पूर्ति सरकार ने कहां तक की है?

माननीय अध्यक्ष : अभी तो पवन ऊर्जा की बात करिए। फिर सोचते हैं।

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी का दाम जो उन्होंने 5-6 करोड़ रुपये कहा, वह अब लगभग चार और साढ़े चार करोड़ रुपये पर आ गया है। उसमें इतनी कमी हुई है। पवन ऊर्जा का खर्चा जो 7 करोड़ रुपये आज के दिन माना जाता है, 6 करोड़ रुपये प्लांट के लिए, 1 करोड़ रुपये ट्रांसमिशन के लिए, जैसे-जैसे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिडिंग प्रोसैस बढ़ेगी, इसका दाम और ज्यादा कम होगा, ऐसा मेरा खुद का अनुमान है।

डॉ. शिंदे जी ने भी जो प्रश्न पूछा, मैं बताना चाहता हूं कि उनको चिंता थी कि आगे कोई कम्पीटीटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी चार दिन पहले मैं ऊर्जा के सब प्लेयर्स- पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर प्लेयर्स के साथ बैठा था। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि 5-6 हजार मेगावॉट पवन ऊर्जा की बिडिंग करवाइए। जहां तक अलग-अलग स्टेट की बात है, सिर्फ तमिलनाडु में ही जो 302 गीगॉवाट देश भर का विंड पोटेंशियल 100 मीटर हाइट पर एक अध्ययन के द्वारा निर्धारित किया गया है, तमिलनाडु का एक पोटेंशियल 33 गीगावॉट का है। सबसे अधिक पोटेंशियल गुजरात में है। वहां पर 84 हजार गीगावॉट है। महाराष्ट्र में भी लगभग 45000 मेगावॉट है। इस प्रकार से 8 राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन आठ राज्यों को मिलाकर 297 गीगावॉट का पोटेंशियल है। हम सभी राज्यों में प्रोत्साहन दे रहे हैं, किंतु तमिलनाडु ने इस पर पहल की थी, जिसके कारण उनकी जो कैपेसिटी है, वह आज के दिन लगभग 7720 मेगावॉट पिछले वर्ष के अंत में हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी 4667 मेगावॉट लग चुका है। अब और लग रहा है और इस वर्ष के आखिर तक हम 30000 मेगावॉट क्रास कर जाएंगे। यह मुझे बताते हुए खुशी है और वर्ष 2012 से 2014, इन दो वर्षों में 3779 मेगावॉट लगा था। हमारे तीन वर्ष का आंकड़ा पहले वर्ष में 2312 जो लगभग 60 प्रतिशत है, पूरे इतिहास में अभी तक लगा था। वर्ष 2015-16 में 3423.05 जो लगभग पहले का 90 प्रतिशत था, और अभी इस साल में हम लगभग 4000 मेगावॉट विंड पॉवर एड करेंगे।

जहां तक आपने 1,75,000 मेगावॉट की बात कही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रीन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का कुल लक्ष्य 1,75,000 था, ...(व्यवधान) उसमें से सौर ऊर्जा का टार्गेट 1 लाख मेगावॉट है। 1,75,000 मेगावॉट नहीं है। 1 लाख मेगावॉट में भी हमने 10 मार्च 2017 को 10,000 मेगावॉट पार कर लिया है। जब मैं मंत्री बना था, तब 2650 मेगावॉट था, अब 10,000 मेगावॉट हो गया है और वर्ष 2018 के मार्च तक यह 20,000 मेगावॉट हो जाएगा।

श्री निहाल चन्द : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने पॉवर के मामले में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा

कि राज्य अगर बाहरी कंपनियों से विद्युत खरीदकर अपने उपभोक्ताओं को देता है तो वह बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। सोलर पॉवर और विंड पॉवर दो ऐसी चीजें हैं, जहां से विद्युत सीधा स्टेट को मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नॉर्थ-ईस्ट और उत्तराखंड को छोड़कर, क्योंकि वहां कहीं भी सब्सिडी नहीं है, क्या दूसरे राज्य में विंड पॉवर और सोलर पॉवर को सब्सिडी देंगे? क्या राजस्थान में जो 55,000 करोड़ रुपये का कर्जा पॉवर पर चढ़ा हुआ है, क्या केन्द्र सरकार उसमें कुछ सहयोग करने का विचार रखती है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री पीयूष गोयल : महोदया, हमारी सरकार का मानना है कि किसी भी उद्योग या विद्युत क्षेत्र के ऊपर सब्सिडी के माध्यम से ग्रोथ करने जाएंगे, तब तक उसमें रिस्ट्रिक्शन आएगी। सब्सिडी से एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास एक हजार करोड़ रुपये हैं, तो सभी इंतजार करते हैं कि इस पैसे में हमें कितना शेयर मिलेगा और उतना ही डेवलपमेंट होता है। उसमें पारदर्शिता लाने, कॉम्पीटिशन और स्केल बढ़ाने से उसके दामों को ही कम कर दिया है। क्या आज वह कॉम्पीटिटिव हो गया है? 'विंड का 346' इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। हमने जीबीआई भी हटा दिया है। एक्सलरेटिड डेपरिशिएशन भी 40 प्रतिशत कर दिया है, आधा कर दिया है। उसके बावजूद यह प्राइज आया है। पहले जो साढ़े चार, पांच और छह प्रतिशत होता था, उसमें जीबीआई अलग मिलता था। उसमें एक्सलरेटिड डेपरिशिएशन मिलने की संभावना थी। हमारा मानना है कि सब्सिडी के बगैर इंडस्ट्री ज्यादा फ्लरिश होती है, ग्रो होती है।

महोदया, जहां तक राजस्थान की बात है कि वर्ष 2013 में जब माननीय वसुंधरा राजे जी मुख्य मंत्री बनीं, तब उन्हें लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का सालाना घाटा विद्युत क्षेत्र में होता था। उनके सामने जो कठिनाई आई, उसका उन्होंने बहुत धैर्य से सामना किया। उन्होंने 'उदय' योजना के सभी लाभ उठाए और उनके राज्य का डिस्कॉम तेजी से सुधार की तरफ जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दो वर्षों में वह प्रोफिट में आ जाएगा। कुछ सांसदों को सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन यह सच्चाई है कि वर्ष 2008 से 2013 के बीच जो नुकसान राजस्थान सरकार को हुआ है, उसकी भरपाई करने का प्रयत्न वसुंधरा राजे जी की सरकार ने किया है, वह बहुत तारीफ के योग्य है।

DR. P. VENUGOPAL : Madam Speaker, already hon. Members, Dr. Shrikant Eknath Shinde and Shri Vinayak Raut, have already asked this question. Anyhow, I would like to say that Tamil Nadu has a long coastline of more than 1,000 kilometres, which is the second longest after Gujarat. The major source of wind energy is the coastal areas. Moreover, wind energy is clean energy, unlike thermal energy which causes pollution.

Since Tamil Nadu has a long coastline, the Government can think of setting up wind energy mills all along the coast of Tamil Nadu where there are no habitations. In fact, the Centre itself on its own set up several wind energy plants all along the coastal area.

Will the Government come forward to give grants and give permission to the State Government of Tamil Nadu to set up wind energy plants along the coast of Tamil Nadu?

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, as I mentioned earlier, Tamil Nadu has made very rapid strides. Tamil Nadu had almost 7,700 MW as of last year and has taken a great initiative in wind energy.

As regards the offshore plants, I just mention that we took out the policy in October, 2015. The offshore plants are still relatively more expensive. We are getting into that business. We are giving some Central support also. We will help to set up transmission line, which is an added cost in these offshore projects.

I think, this technology will take some time to mature, but I would be very happy to inform the hon. Member that this is in our zone of consideration and going forward, we will develop this further. As the costs keep falling, we will keep expanding in that sector also.

(Q. 303)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बुनकरों की शिक्षा के बारे में बोलने की अनुमति दी है। मैं स्वयं बुनकर का पुत्र हूं। मैं हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं और हमारी बहन स्मृति जी और टम्टा जी का भी आभारी हूं कि वे बुनकरों और हस्तशिल्पियों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं। जहां तक हमारे देश का सवाल है, हस्तकला हमारी धरोहर है। मैं गुजरात क्षेत्र से आता हूं। गुजरात में चाहे कच्छ हो, चाहे पाटन के पटौले हों, चाहे स्वराष्ट्र की बांधनी हो, पूरे देश के अलग राज्यों में हमारी हस्तकला एक धरोहर के रूप में जानी जाती है। जब हस्तकर्मियों को आइडेंटिटी कार्ड देने थे, तब वह कार्यक्रम स्मृति जी ने सबसे पहले अहमदाबाद में मेरे क्षेत्र में रखा था। मैं स्मृति जी का आभार व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। स्मृति जी की वजह से हस्तकर्मियों और बुनकरों के सामान की वैल्यू एडिड होती है और उन्हें ज्यादा आमदनी मिलती है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बुनकरों को शिक्षा देने के लिए नेशनल हैंडीक्राफ्ट विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए सरकार की कोई सोच है?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे सबसे पहले श्री किरीट भाई का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद देकर अभिभूत किया।

महोदया, बुनकरों और उनके परिवारों के मध्य में शिक्षा का स्तर जानने के लिए वर्ष 2009-10 में सेंसस हुआ। यह पाया गया कि 30 प्रतिशत बुनकर और उनके परिवार के सभी सदस्य कभी विद्यालय गये ही नहीं और मात्र एक प्रतिशत बुनकर ही ग्रेजुएशन या उसके ऊपर की पढ़ाई कर पाये।

माननीय अध्यक्ष : उस एक प्रतिशत में ही किरीट जी शामिल हैं।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : जी हाँ। उनका अभिनन्दन है कि एक बुनकर के पुत्र होने के बावजूद वे न सिर्फ डॉक्टर बने, बल्कि आज भी स्वयं बुनते हैं।

जब कारणों को टटोला गया तो यह पाया गया कि बुनकर और उनके परिवार पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे शुल्क अदा नहीं कर पाते हैं अथवा उन्हें मुख्यतः मॉडर्न वीविंग टैक्नीक सिखाई जाती है और वे चाहते हैं कि उससे जुड़े कुछ नये कोर्सेज़ भी हों।

7 अगस्त, 2016 को हमने इग्नू और एनआईओएस के साथ हैंडलूम डवलपमेंट कमिश्नर कार्यालय के माध्यम से एक एमओयू किया। मैं श्री किरीट भाई से कहना चाहती हूँ कि यह मात्र बुनकरों के लिए ही नहीं, बल्कि हस्तशिल्पियों के लिए भी 9 नवम्बर और जनवरी के माह में हमने एनआईओएस और इग्नू के माध्यम से एक सर्वे किया। इग्नू और एनआईओएस के माध्यम से यह सुविधा मिलती है कि बुनकर और शिल्पकार घर पर बैठकर अपनी चीजों को बनाते हैं, वे रेगुलर किसी संस्थान में जाकर पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए शिक्षा स्वयं उनके घरों तक आए, हमने ऐसी व्यवस्था की है। उनकी जो आर्थिक चुनौतियाँ रहती हैं, उनको देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय किया है कि 1 अप्रैल, 2017 से जो भी बुनकर समाज और हस्तशिल्प समाज के नागरिक हैं, यदि वे एससी, एसटी, माइनॉरिटी परिवार से हैं, बीपीएल परिवार से हैं, महिला हैं अथवा दिव्यांग हैं, उनकी 75 प्रतिशत शुल्क की राशि भारत सरकार स्वयं भरेगी।

मैं सदन के सभी सदस्यों के समक्ष यह भी कहना चाहूँगी कि वे बुनकरों और शिल्पकारों से संबंधित कई कठिनाइयाँ मेरे पास लेकर आते हैं। हमने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 4 जनवरी को बुनकर मित्र हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका नम्बर 18002089988 है। दो माह में लगभग 3500 बुनकरों ने अपनी कठिनाइयाँ बतायीं और हमने उनका समाधान किया। आप सभी जनप्रतिनिधि हैं, आपके माध्यम से भी यदि किसी को सहायता चाहिए तो यह हेल्पलाइन सप्ताह के सातों दिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चलता है। चाहे शिक्षा की मुसीबत हो या कोई भी चुनौती हो, वे इसके माध्यम से हम तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैडम स्पीकर, मैं अहमदाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, किसी जमाने में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, वहाँ करीबन 75 से ज्यादा

टैक्सटाइल मिल्स थे। इन मिलों में काम करने वाले कर्मचारी गरीब और दलित वर्ग के थे। समयान्तराल में, वे मिलें बंद हो गयीं और अब कुछ ही मिलें बची हैं। उन बंद मिलों के जो बेरोजगार कर्मचारी हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि हमारी गुजरात सरकार ने उन लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, वे छोटे-छोटे व्यवसाय करते हैं, फिर भी उनके बच्चों के लिए पढ़ाई, उनके रहने के लिए आवास की सुविधा में दिक्कत आती है। इसलिए मैं मंत्री जी से विनती करता हूँ कि बंद पड़े मिलों के जो बेरोजगार लोग हैं, क्या उनके लिए भारत सरकार कोई पैकेज लाएगी ताकि उनकी स्थिति सुधर सके?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : महोदया, चूंकि माननीय सदस्य महोदय का प्रश्न हैंडलूम से संबंधित था, इसलिए ये जिन मिलों की चर्चा कर रहे हैं, वह मुख्य प्रश्न का अंग नहीं है, फिर भी उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके संदर्भ में मैं उनको एक जानकारी देना चाहती हूँ। पहली अप्रैल से पूरे पावरलूम सेक्टर के लिए एक विशेष पैकेज घोषित करने वाले हैं और हमारी यह कोशिश है कि पावरलूम के वर्कर्स की आय में वृद्धि हो। यदि इसके संबंध में, आप किसी भी वर्कर को इस स्कीम में जोड़ना चाहें, तो निश्चित रूप से मैं उसमें सहायता करूँगी।

श्री ताम्रध्वज साहू : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर 'घ' में जानकारी दी है कि बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं। मेरा सीधा और छोटा सा प्रश्न यह है कि जो योजनाएँ बुनकरों के लिए जो योजनाएँ बनती हैं, उनका लाभ बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज एवं उद्योगपतियों द्वारा उठाया जाता है। ग्रामीण अँचल में रहने वाले छोटे बुनकरों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ग्रामीण बुनकरों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या नःशुल्क जमीन पर निर्माण व कच्चे माल की खरीद के लिए बिना ब्याज का ऋण तथा उनके उत्पाद की बिक्री के लिए जिला और प्रदेश मुख्यालय पर मार्केटिंग की कोई योजना बनाई जाएगी?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : मैं माननीय सदस्य के साथ एक चिंता शेयर करना चाहती हूँ। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री का यह दुर्भाग्य यह रहा कि जब 2014 में हमें सेवा का अवसर मिला, उससे 4-5 वर्ष पहले तक टैक्सटाइल की लगभग 10 से 18 स्कीमों पर कोई काम नहीं किया गया था। भारत सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए राशि का आबंटन किया जाता था, किंतु धरातल तक कुछ नहीं पहुँचता था। इस बात का उल्लेख सदन में कई बार हुआ है। इस वजह से दो-तीन चिंताएँ इस क्षेत्र को पूरी तरह से ग्रसित कर चुकी हैं। माननीय सदस्य बुनकरों तक लाभ पहुँचाने की बात कर रहे हैं। मैंने जिस सैंसस का उल्लेख किया है, वह 2009 में हुआ था। उस सैंसस में बुनकर समाज के कई प्रश्न और चिंताएँ व्यक्त की गई थीं, परंतु उनके समाधान हेतु कई चीजें नहीं हुई थीं। हमारे एक वरिष्ठ मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ बैठे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। ...(व्यवधान) अधीर दा का उपहास करने का एक पुराना तरीका रहता है।

महोदया, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बुनकरों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि उन्हें क्रेडिट चाहिए है, परंतु क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आसानी से उन तक नहीं पहुँचते हैं। हमने वीवर्स सर्विस सेंटर्स के माध्यम से सभी बुनकरों को मुद्रा लोन से जोड़ा है। हमने वित्त मंत्रालय से भी यह विशेष निवेदन किया है कि वह हमारे मंत्रालय से समन्वय कर के बुनकरों के साथ मीटिंग करे। आज बुनकर यह कहते हैं कि यदि नाबार्ड की व्यवस्था उन्हें भी मिले, तो वह उस व्यवस्था का लाभ उठाना चाहेंगे। अर्जुन जी ने हमारी बात रखी और इसलिए मैं उनका एवं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि कल उन्होंने यह निर्णय लिया है कि अब नाबार्ड में हैण्डलूम को भी एक एंटिटी की तरह लिस्ट किया जाएगा, ताकि हम बुनकरों को क्रेडिट सिक्योरिटी दे सकें।

माननीय सांसद ने यह भी बताया है कि बुनकर की यह दरकार है कि उसकी लूम काफी पुरानी होने के बाद चलती नहीं है। इस लूम के लिए वह उधार लेता है, जिसके तले वह दबता चला जाता है। हमने क्रेडिट को किफायती दामों पर एविलेबल करवाकर उसे सरल तरीके से नाबार्ड से जोड़ा है। हमने बुनकरों के लिए लूम की व्यवस्था करने के लिए हथकरघा संवर्धन सहायता योजना का निर्माण किया है। हमने डी.बी.टी. के माध्यम से उन सभी बुनकरों को इससे जोड़ा है जिनके पास लूम है। हम प्रत्येक बुनकर के क्लस्टर में वीवर्स सर्विस सेंटर्स के माध्यम से कैंप्स लगाएंगे। इन कैंप्स में आकर बुनकर स्वयं यह सलैक्ट कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी नई लूम चाहिए है। हमने यह निर्णय किया है कि जब बुनकर लूम प्राप्त करेगा, तो उसे मात्र 10 प्रतिशत राशि देनी होगी, शेष 90 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देगी।

माननीय अध्यक्ष : अनुपम हाज़रा जी।

DR. ANUPAM HAZRA : Madam, I represent the constituency of Bolpur where Shantiniketan Handicrafts is quite well known for its products made of *batik, butik and kantha* stitch which, I think, the hon. Minister is also aware of.

In my constituency, there are around thousands of Self Help Groups which comprise rural and tribal women who are quite expert and well known for their handicrafts. What is happening on the ground is that some of the established fashion designers and the people who are in this field are purchasing their products at a very cheaper rate, and they are putting their own tag on those products and promoting their own brand. At the end of the day, the Self Help Group women are somehow being victimized financially and they are not being able to promote their products in the market in a proper way. So, is there any scheme or policy in the near future with the Ministry so that their products can be fine-tuned and can be oriented and promoted in a better way and also can get a good price in the market?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, the hon. Member has reflected a concern which is very well thought of. For years, in the handicrafts sector, this is an unfortunate fact that many NGOs tried to become a link between Government and the weaver or the artisan, and in the name of being that link did not allow the actual benefits that the Government wanted to give to the individual artisan or to the individual, little society or the group that artisans formed.

I would only like to tell him that we have actually ensured that there is a portal called 'India Handmade Bazaar' through which we are connecting individual artisans, weavers and even groups of weavers and artisans directly to showcase their wares so that the buyers can connect with them directly. We are also trying to educate them about patents, about geographical indications so that they understand how rich their heritage is and what is the kind of market price they can demand.

Since the hon. Member has reflected about a personal concern that he has witnessed in his own constituency, I will like to tell him that the Handloom and Handicrafts Development Commissioner will ensure that these women artisans in your constituency get through design intervention and skill upgradation, the help that you so seek for them in this House.

SEVERAL HON. MEMBERS: Good, good.

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : महोदया, आज स्मृति जी का जन्मदिन है। मैं अपनी और सदन की ओर से इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अच्छे काम करती रहें।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : महोदया, मैं स्मृति जी को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ ही मैं उनका अभिनंदन भी करना चाहूंगी कि उन्होंने टैक्सटाइल के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगी।

सूरत डायमण्ड और टैक्सटाइल के साथ-साथ जरी के उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। जरदोशी तार गोल्ड और सिल्वर बेस्ड होता है। इसमें जो बुनकर काम करते हैं, उनको उसके तार के लिए काफी दिक्कत आती है। इसके अलावा टैक्सटाइल के क्षेत्र में काफी अपग्रेडेशन्स हुए हैं, जिसके लिए काफी तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे नयी मशीनों से बीडिंग वगैरह होते हैं। उसके लिए

नये अभ्यासक्रम को जोड़कर लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। वैसे तो 1 अप्रैल को सूरत से कई योजनाओं के बारे में डिक्लरेशन होने वाला है और आगे भी हो चुका है। पहले अपग्रेडेशन स्कीम बनायी गयी थी, लेकिन उसके लिए कोई फण्ड नहीं रखा गया था। मैं इस सरकार के वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी कि उनकी वजह से टफ अपग्रेडेशन स्कीम के लिए भी धन मिल चुका है। इन दोनों को मिलाकर स्किल डेवलपमेंट पर मंत्री जी क्या कर रही हैं?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, firstly, I am grateful for the wishes of the hon. Member.

लेकिन उन्होंने जो चिंता व्यक्त की कि पैसे नहीं पहुंच रहे थे, एलोकेट नहीं हो रहे थे। मैंने अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पहले इस मंत्रालय की लगभग 18 स्कीम्स सरेण्डर होती थीं, इसलिए घोषणा के बाद उसकी अपेक्षा में लोग बैठे रहते थे, लेकिन उनके पास सहायता नहीं पहुंचती थी।

माननीय सदस्या ने बीडिंग का उल्लेख किया है। यह हेण्डलूम और हेण्डीक्राफ्ट से संबंधित नहीं है। पावरलूम अथवा मिल्स के लिए एक्सेसरीज बनाते हैं, उससे संबंधित है। जिस प्रकार से नाबार्ड की व्यवस्था हेण्डलूम के लिए है, उसी प्रकार से प्रमुखता से जो मुद्रा योजना है, उसका लाभ बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स जो इंडस्ट्री के लिए एक्सेसरीज बनाते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक स्किलिंग की बात इन्होंने की है, मुझे लगता है कि वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी अभिनंदन के पात्र हैं, इंडस्ट्री भी अभिनंदन की पात्र है कि हमारी मिनिस्ट्री के स्किलिंग प्रोग्राम में 79 परसेंट प्लेसमेंट अब तक हुआ है। हम प्लेसमेंट के सर्टिफिकेट के साथ ही संतोष नहीं करते हैं, बल्कि छः महीने बाद इस बात को कंफर्म करते हैं कि क्या वह व्यक्ति अभी भी वहीं काम कर रहा है या नहीं।

DR. PRABHAS KUMAR SINGH : Madam, this is regarding my parliamentary constituency where a large section of weavers, especially handloom weavers, produce Sambalpuri Sari that is tie & dye, which is famous throughout the world but is now in a state of danger. It is an ancient form of art heritage. Now, due to large-scale duplication of Sambalpuri Sari and Sambalpuri clothes, the Sambalpuri weavers are going to starve.

In the last Session, I had asked the hon. Minister to take appropriate steps to stop this type of duplication. The team had gone to Bargarh and Sambalpur. But, nothing has been reported till now. The Sambalpur handloom is known for its tie and dye fabric. Can I know from the hon. Minister as to what steps she is going to take to stop marketing of duplicate products?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, for the challenge of duplication, we have the Handloom Mark. I would also request the hon. Member to ensure that weavers and those who are producing more and more of these parts of our legacy connect themselves to the India Handloom Brand and they would get that protection. For the first time, in the history of our country, it is our hon. Prime Minister under whose guidance the India Handloom Brand was established. One of the benefits of the India Handloom Brand is that we are now directly connecting the agencies and companies, like, Biba, Allen Solly, Peter England to the weavers so that the cloth that a weaver produces, is directly procured by the company and the payments are made directly to the weavers. I implore that the Member ensure that weavers in his constituency connect to the India Handloom Brand and also insist on getting the Handloom Mark for their ware so that the protection he so desires for them, is given.

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.